

(iv) Acute water Scarcity in Kharagpur and Midnapore districts of West Bengal and need for augmenting new sources of drinking water for relief of the suffering people

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore) : Mr. Speaker, Sir, under Rule 377 I want to raise the following matter of urgent public importance.

The city of Kharagpur with 3 lakh of population and Midnapore town in West Bengal with nearly 1 lakh population are reeling under the severest drought and water scarcity. The areas such as Prembazar, Talbagicha, Agera, Nimpora, Malancha area, Chatispara, Subbaspalli, Panchbheria, Inda of Kharagpur and many areas of Midnapur are worst hit. People are fighting each other for a bucket of water at taps and criminal cases are being registered. Authorities have been approached a number of times. The Chairmen of both the municipalities and commissioners intimated the authorities by resolution and deputation. But as yet no action in positive direction has been taken. I urge upon the Government to take urgent steps in the matter and move quickly for augmenting new water sources to bring relief of the population in the matter of drinking water.

(v) Need for providing financial assistance to Bihar for clearance of arrears of payment due to Sugarcane growers there

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के ईख काश्तकारों का ईख के मूल्य का बकाया चिन्ता का विषय है। 8 वर्ष पहले बहुत सी मिलों का संचालन मालिकों ने मिलों के रुग्ण होने के कारण बन्द कर दिया था। राज्य सरकार ने ऐसी 10 मिलों का अधिग्रहण कर काश्तकारों तथा मजदूरों के हित के ख्याल से अलाभकर होने पर भी संचालन जारी रखा। 1982-83 की ईख की कीमत का बकाया अभी भी 6.50 करोड़ सरकारी और 5.50 करोड़ निजी चीनी मिलों के जिम्मे बचा हुआ है। 1982-83 में केन्द्रीय सरकार ने 20 करोड़ रुपए का ऋण

“वेज ऐंड मीन्स” एडवांस के रूप में देने की सहमति प्रकट की। राज्य सरकार ने केवल 5 करोड़ लिया जिससे सरकारी मिलों पर बकाए का कुछ अंश अदा किया जा सका।

1983-84 में भी चीनी मिलें किसानों की ईख का मूल्य भुगतान नहीं कर सकेंगी तथा 20 करोड़ रुपए निजी चीनी मिलों तथा 5 करोड़ सरकारी चीनी मिलों पर बकाया रह जायेगा। इन्हें बैंक से भी कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उत्पादन पर मिलने वाले कैश क्रेडिट से ईख के दाम का भुगतान नहीं हो सकेगा। अतः 1982-83 तथा 1983-84 का कुल 37 करोड़ का बकाया चुकाने के लिए यदि केन्द्र सरकार से 20 करोड़ रुपए का ऋण तीन वर्षों के लिए राज्य को मिले तो इन मिलों को तीन वर्षों की अवधि के लिए ऋण देकर तीन वर्षों के अन्दर वार्षिक किस्तों में अदा करने का आदेश दिया जा सकता है। राज्य सरकार के वित्तीय साधन के द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः केन्द्र से अपेक्षा है कि वह बिहार राज्य सरकार को यह ऋण मुहैया करे जिससे बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक संकट से बचाया जा सके।

(vi) Need for directing H.E.C., Ranchi, to pay the increased wage amount to Supervisors and teachers

श्री रीललाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, रांची स्थिति भारत के सब से बड़ी भारी इंजीनियरी उद्योग निगम [एच.ई.सी.] में उत्पादन ह्रास, औद्योगिक अंशाति एवं अपव्यय की ओर उद्योग मंत्री एवं सम्पूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

पर्यवेक्षक एवं शिक्षकों का वेतन स्तर मजदूरों के समान की है, जब कि पर्यवेक्षकों के दिशा निर्देश से ही सारा कार्य सम्पादन होता